>

Title: Alleged ill treatment meted out to the passengers of AI 144 (Frankfurt to Ahmedabad) on 22 July, 2010.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से एयर इंडिया अथॉरिटी द्वारा मुसाफिरों के साथ किए गए खराब व्यवहार के बारे में सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह 22 जुलाई, 2010 को अहमदाबाद, गुजरात राज्य के एयरपोर्ट से संबंधित घटना है। उस दिन जेट एयरवेज़ फ्लाइट के हाइड्रॉलिक सिस्टम खराब हो जाने के कारण एयरपोर्ट का रनवे बंद कर दिया गया था। उसी वक्त रात को एयर इंडिया की फ्रैंकफर्ट से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट नम्बर एआई-144, जो रात को 9.10 बजे आने वाली थी, रनवे बंद होने के कारण उसे मुम्बई एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। मुम्बई एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिंग होने के बाद सभी 250 यात्रियों को पूरी रात यानी रात के दस बजे से सुबह सात बजे तक प्लेन में बैठे रहने का आदेश दिया गया। उनके लिए किसी होटल में खाने-पीने या रहने की व्यवस्था नहीं की गई। यात्रीगण पूरी रात प्लेन में बैठे रहे और किसी को भी प्लेन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। यात्रीगणों में कई वृद्ध, छोटे बच्चे एवं महिलाएं थीं जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वृद्ध लोग परेशान थे, बच्चे रो रहे थे एवं महिलाएं बेचैन थीं। अहमदाबाद में यात्रीगणों के सगे संबंधियों को सही जानकारी नहीं दी गई। सबसे खराब बात यह है कि जब तक प्लेन मुम्बई एयरपोर्ट पर था, यात्रियों को खाने-पीने की सुविधा नहीं दी गई एवं पीने के पानी की बोतल भी नहीं दी गई। दूसरे दिन पूरे 39 घंटों बाद प्लेन ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब यात्रीगणों ने अथॉरिटी के सामने शिकायत की तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अमानवीय क्रूर व्यवहार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, दोषियों को दंडित किया जाए ताकि अव्यवहारिक व्यक्तियों के कारण भारत की छवि खराब न हो। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री महेन्द्रसिंह चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करती हैं।